आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/२८१ दिनांकः 10 मई, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः ग्रीष्मावकाश में महाविद्यालय में रोके जाने वाले शैक्षणिक संकाय सदस्यों के संबंध में दिशा–निर्देश

महोदय,

आयुक्तालय द्वारा ग्रीष्मावकाश की अवधि में विभिन्न कार्यो के लिए शैक्षणिक संकाय सदस्यों को रोके जाने के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ.1( )स्था/निकाशि/16/8375 दिनांक 12.07.2016 एवं पत्र क्रमांक एफ.7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/286 दिनांक 30.04.2019 की निरन्तरता में समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है किः–

1. ग्रीष्मावकाश के दौरान अनावश्यक रूप से बिना औचित्यपूर्ण कार्य के शैक्षणिक संकाय सदस्यों को नहीं रोका जाये।

2. ग्रीष्मावकाश के दौरान महाविद्यालयों के द्वारा कितने शैक्षणिक संकाय सदस्यों को रोका गया, इस आशय की सूचना आयुक्तालय को नहीं होती। इस हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र में चाही गयी समस्त सूचनाओं को ई.मेल cce_raj@yahoo.com पर निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

3. उक्त चाही गई सूचना प्रत्येक पाक्षिक (Fortnightly) आधार पर निम्नानुसार यथा समय भिजवाई जावेः–

क्र.सं.	अवधि	संलग्न प्रारूप में सूचना भिजवाने की तिथि
01	01–15 मई 2019	20 मई 2019 तक
02	16–31 मई 2019	05 जून 2019 तक
03	01–15 जून 2019	20 जून 2019 तक
04	16–30 जून 2019	07 जुलाई 2019 तक

संलग्नः– सूचना हेतु निर्धारित प्रारूप

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव,उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/२८१ दिनांकः 10 मई, 2019

प्रतिलिपिः वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

10/5/19
(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

ग्रीष्मावकाश के दौरान राजकार्य के निष्पादन हेतु रोके गये सहायक/सह आचार्यों का विवरण

अवधि.....

सहायक/सह आचार्य का नाम	विषय	ग्रीष्मावकाश में महाविद्यालय में रोके जाने की अवधि	उक्त दिवस /दिवसों पर महाविद्यालय में आवंटित कार्य/ दायित्व	आवंटित कार्य/ दायित्व का औचित्यपूर्ण विस्तृत विवरण	निष्पादित कार्य / दायित्व का विवरण	अन्य विवरण (संपादित कार्य की पूर्णता के संबंध में टिप्पणी सहित)
1	2	3	4	5	6	7

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/286 दिनांकः 30 अप्रेल, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः नव चयनित सहायक आचार्यो (परिवीक्षाधीन) को ग्रीष्मावकाश में महाविद्यालय में आवश्यकता के अनुसार रोके जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ग्रीष्मावकाश के दौरान विश्वविद्यालय परीक्षायें, प्रतियोगी परीक्षायें, वार्षिक कार्य योजना तथा ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण एवं समयबद्व कार्यक्रम सम्पादित कराने हेतु महाविद्यालयों में कार्यरत परिवीक्षाधीन सहायक आचार्यो की सेवायें ली जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। इस अवधि में इन्हें उपार्जित अवकाश (P.L.) की देयता के संबंध में मार्ग–दर्शन चाहा है।

राजस्थान सेवा नियमों की सामान्य शर्तों के अनुसार जन हित में राजकीय कार्य सम्पादन हेतु राज्य कार्मिकों को कभी भी बुलाया जा सकता है। विभागीय नियमों तथा प्रावधानों के अनुसार यदि कोई परिलाभ अनुज्ञेय है तो वे दिये जायेंगे परन्तु यदि नियमानुसार देय नहीं है तो भी राजकार्य की आवश्यकता ही प्राथमिकता पर रहेंगी। नियमों में इन्हें उपार्जित अवकाश (P.L.) देने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों में ग्रीष्मावकाश अवधि में परिवीक्षाधीन सहायक आचार्यो की सेवायें यथोचित स्वविवेक से रोटेशन आधार पर न्यायपूर्ण तरीके से लेते हुये राजकार्य यथा समय पूर्ण करायें जावे। परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण होना तभी माना जाता है जब पदस्थापन कर्त्तव्य यथा समय पूर्ण किये जावें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड़) 30/4/2019
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव,उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/286 दिनांकः 30 अप्रेल, 2019

प्रतिलिपिः बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र.को बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

30/4/2019
(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ1( )स्था/निकाशि/16/8375 दिनांकः- 12.07.16

परिपत्र

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/
संगीत संस्थान/स्कूल ऑफ आर्ट,
राजस्थान।

प्राचार्य महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष होते हैं, ग्रीष्मावकाश में प्राचार्यो द्वारा महत्वपूर्ण राजकार्य यथा प्रवेश कार्य, परीक्षा कार्य एवं भौतिक सत्यापन आदि कार्य सम्पादित कराने होते है। अतः समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्मावकाश में महाविद्यालय में राजकार्य सम्पादन हेतु ठहराव अनिवार्य है। अपरिहार्यता की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ा जावें। साथ ही ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय पर उपस्थित रहकर राजकार्य सम्पादित करने हेतु रोके गये कार्मिकों की सूचना तथा किये गये कार्य का विवरण एवं उपस्थिति पंजिका की छाया प्रति **31 अगस्त तक** आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि राजकार्य सम्पादन के फलस्वरूप देय लाभ स्वीकृत किया जा सके।

सनद रहे कि नियम 92(बी) के अन्तर्गत उपार्जित अवकाश के लाभ की स्वीकृति हेतु दिनांक 31 अगस्त के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनूप खींची)
आयुक्त

प्रतिलिपि श्री पंकज माथुर, व्याख्याता एवं वेब साइट प्रभारी, आयुक्तालय को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को विभाग की वेब साइट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।